

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 357]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2025—पौष 2, शक 1947

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2025

क्र. एफ 35-15-2009-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का प्रतिषेध किया जाए;

अतएव, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दशायी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का दिनांक 1 फरवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक की अवधि के लिए प्रतिषेध करती है :—

अनुसूची

“राज्य के माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षाओं से संबंधित समस्त कार्यों के लिये नियुक्त किये गये कर्मों (पर्सोनल)”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बुद्धेश कुमार वैद्य, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2025

क्र. एफ 35-15-2009-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बुद्धेश कुमार वैद्य, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd December 2025

F. No. 35-15-2009-II-C-1.—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential services specified in the Schedule below;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Atyavashvak Sewa Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979), the State Government hereby prohibits refusal to work in the essential services specified in the Schedule with effect from the date of 1st February 2026 to 30th April 2026 :—

SCHEDULE

" Personnel appointed for all the works related to the examinations of the Board of Secondary Education in the State".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
BUDDHESH KUMAR VAIDYA, Dy. Secy.